

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :177/2019

वादीगण-

सोहनलाल पुत्र जेठाराम
रामपाल पुत्र जेठाराम
गणपत पुत्र जेठाराम
लिखमाराम पुत्र जेठाराम
भवरी देवी पुत्री जेठाराम
बाउ देवी पुत्री जेठाराम
मीरा देवी पुत्री जेठाराम जाति-जाट, निवासी कमेड़िया, तहसील-जायल, जिला-नागौर।

बनाम

वादीगण -

जेठाराम पुत्र नानूराम जाति-जाट, निवासी कमेड़िया, तहसील-जायल, जिला-नागौर।
तहसीलदार जायल जरिये सरकार

स्थिति :-

1. श्री नाथुराम ईनाणिया वादीगण की ओर से
2. श्री मुकेश बिडियासर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

दि. 14/12/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नाथुराम ईनाणिया
वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री मुकेश बिडियासर व प्रतिवादी
संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि -

वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 वीकार किया जाकर मौजा कमेड़िया के खेत खसरा नं. 160/434
का 29.03 बीघा, खसरा नंबर 271 रकबा 20 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ
खातेदार घोषित किया जाकर तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न
कार अंतिम डिक्री किया जाना

1. वादी सोहनलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर
160/434 रकबा 4.7186 हैक्टेयर में से 1.1780 हेक्टेयर नजरीनकशानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 रामपाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर
160/434 रकबा 4.7186 हैक्टेयर में से 1.1780 हेक्टेयर नजरीनकशानुसार रखा गया है।

दि.
मुकेश बिडियासर
(तहसीलदार)

3. वादी संख्या 3 गणपत के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेडिया का खेत खसरा नंबर 160/434 रकबा 4.7186 हैक्टेयर में से 1.1775 हेक्टेयर नजरीनकशानुसार रखा गया है।

4. वादी संख्या 4 लिखमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेडिया का खेत खसरा नंबर 160/434 रकबा 4.7186 हैक्टेयर में से 1.1780 हेक्टेयर नजरीनकशानुसार रखा गया है।

5. वादीगण संख्या 1 से 4 के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेडिया का खेत खसरा नंबर 160/434 रकबा 4.7186 हैक्टेयर में से 0.0071 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार मार्क ए से बी रास्ते हेतु रखी गई है।

6. प्रतिवादी संख्या संख्या 1 जेठाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेडिया का खेत खसरा नंबर 271 यथावत रखा गया है।

7. वादी संख्या 5 से 7 के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकॉर्ड में अलमदरामद हो।

बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 14/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(भागौर)

तीज - मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह -
मालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व
मुहर अदालत के आज तारीख 14/12/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (भागौर)